भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2560
मंगलवार, 16 दिसंबर, 2025/25 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

सहकार सारथी

2560. डॉ. भोला सिंहः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्रामीण सहकारी बैंकों को आधुनिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए 'सहकार सारथी' की स्थापना की गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या उक्त पहल से ग्रामीण सहकारी बैंकों के आधुनिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होने की संभावना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) जी हाँ मान्यवर । सहकार सारथी (साझा सेवा इकाई - SSE) की स्थापना ग्रामीण सहकारी बैंकों (RCBs) को आधुनिक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए की गई है ।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बाद, सहकार सारथी की स्थापना की गई और इसे 21 जुलाई 2025 को पंजीकृत किया गया था । इसकी प्राधिकृत पूंजी 1,000 करोड़ रुपये है, जिसमें नाबार्ड एनसीडीसी और ग्रामीण सहकारी बैंकों (RCBs) की शेयरधारिता क्रमशः 33.33% निर्धारित की गई है ।

सहकार सारथी ग्रामीण सहकारी बैंकों (RCBs) को साझा प्रौद्योगिकीय अवसरंचना और डिजिटल सेवाएँ प्रदान करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सामान्य और आधुनिक कोर बैंकिंग समाधान (CBS);
- डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ जैसे कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS), यूपीआई (UPI), और संबंधित डिजिटल चैनल;
- साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क, आईटी शासन और डोमेन माइग्रेशन समर्थन (उदाहरण के लिए, bank.in);
- मानक प्रचालन प्रक्रियाएँ (SOPs), प्रशिक्षण, और प्रौद्योगिकी अंगीकरण के लिए क्षमता निर्माण।

(ग) इन पहलों के माध्यम से, 'सहकार सारथी' ग्रामीण सहकारी बैंकों को आधुनिक और मानकीकृत डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने, ग्राहक पहुँच को बढ़ाने, परिचालन दक्षता को मजबूत करने तथा अन्य विनियमित बैंकिंग संस्थाओं के तुल्य समकालीन वित्तीय प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सक्षम बनाता है।

******